## न्यायालय बाल न्यायालय (सेशन न्यायाधीश) झुंझुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारीः– **सुनील कुमार पंचोली,**

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

**निर्णय दिनांकः 23 जुलाई, 2026**

**सेशन प्रकरण संख्याः– 101/2023 (CIS N. 120/2023)**

**राज०राज्य बनाम श्रीमती मंजू देवी**

**प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 229/2023, पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं**

**अपराध अन्तर्गत धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता सपठित धारा 84 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम**

**भाग–प्रथम**

A

| | |
|---|---|
| परिवादिया | श्रीमती बुली नाथ पत्नी लखन नाथ, निवासी खेमाना, पुलिस थाना खुड़ेल, तहसील बुराना खेड़ी, जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) हाल डाइट के सामने झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राज०) |
| प्रस्तुतकर्ता | राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक श्री रामावतार ढाका |
| अभियुक्ता का नाम व पता | श्रीमती मंजू देवी पत्नी विजय कुमार, उम्र 28 वर्ष, निवासी पहाड़सर जिला चूरू हाल अफसाना जोहड़ कस्बा झुंझुनूं, पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राज०) |
| अधिवक्ता अभियुक्ता | श्री शिवकुमार जेवरिया |

B

| | |
|---|---|
| अपराध की दिनांक | 04.05.2023 |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक | 04.05.2023 |
| आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक | 20.10.2023 |
| आरोप विरचित किये जाने की दिनांक | 11.06.2024 |
| साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक | 16.11.2024 |
| निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक | 17.07.2026 |
| निर्णय दिनांक | **23.07.2026** |
| दण्डादेश की दिनांक | -- |

C

**अभियुक्ता का विवरण**

| क्र.सं. | अभियुक्ता का नाम | गिरफ्तार करने की दिनांक | जमानत पर रिहा होने की दिनांक | अपराध अंतर्गत धारा | दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध | पारित दण्डादेश | धारा-428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए बालक द्वारा विचारण के दौरान निरूद्धगी में व्यतीत की गई अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | श्रीमती मंजू देवी | 04.05.23 | 10.05.23 | 363 भा०द०सं० सपठित धारा 84 जेजे एक्ट | **दोषमुक्त** | | -- |

**भाग–द्वितीय**

**अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची**

**अ–अभियोजन गवाहान**

| रैंक | नाम | साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह) |
|---|---|---|
| पी.डब्ल्यू 1 | बलकेश | पुलिसकर्मी |

| | | |
|---|---|---|
| पी.डब्ल्यू 2 | किशोर कुमार | पुलिसकर्मी |
| पी.डब्ल्यू 3 | भुली देवी | परिवादिया/पीड़िता की माता |
| पी.डब्ल्यू 4 | लखन | पीड़िता का पिता |
| पी.डब्ल्यू 5 | पीड़िता | पीड़िता |
| पी.डब्ल्यू 6 | डॉ० संजय कुमार | चिकित्सक |
| पी.डब्ल्यू 7 | मदनलाल | अनुसंधान अधिकारी |
| पी.डब्ल्यू 8 | महेन्द्र कुमार | पुलिसकर्मी |
| पी.डब्ल्यू 9 | हीना | पीड़िता की मौसी |

**ब–बचाव गवाह**

| रैंक | नाम | साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह) |
|---|---|---|
| - | – | – |

**–स–न्यायालय गवाह 229**

| रैंक | नाम | साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह) |
|---|---|---|
| ––– | | |

**<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श</u>**

**अ–अभियोजन प्रदर्श**

| क्र.सं. | प्रदर्श नंबर | विवरण |
|---|---|---|
| 01 | प्रदर्श पी 1 | नक्शा मौका दस्तयाबीस्थल पीड़िता |
| 02 | प्रदर्श पी 2 | फर्द बरामदगी कपड़े पीड़िता |
| 03 | प्रदर्श पी 3 | नक्शा मौका बरामदगीस्थल |
| 04 | प्रदर्श पी 4 | तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल अभियुक्ता |
| 05 | प्रदर्श पी 5 | तहरीरी रिपोर्ट |
| 06 | प्रदर्श पी 6 | फर्द दस्तयाबी पीड़िता |
| 07 | प्रदर्श पी 7 | चाक एफआईआर |
| 08 | प्रदर्श पी 8 | उम्र संबंधी परीक्षण रिपोर्ट पीड़िता |
| 09 | प्रदर्श पी 9 | ओपीडी पंजीयन पर्ची पीड़िता |
| 10 | प्रदर्श पी 10 व 11 | एक्सरे प्लेट पीड़िता |
| 11 | प्रदर्श पी 12 | एक्सरे रिपोर्ट पीड़िता |
| 12 | प्रदर्श पी 13 | चैक लिस्ट धारा 41 दण्ड प्रक्रिया संहिता |
| 13 | प्रदर्श पी 14 | फर्द गिरफ्तारी अभियुक्ता |
| 14 | प्रदर्श पी 15 व 16 | पत्र थानाधिकारी |
| 15 | प्रदर्श पी 17 | फर्द इत्तला अभियुक्ता |
| 16 | प्रदर्श पी 18 व 19 | Arrest/Court surrender memo |
| 17 | प्रदर्श पी 20 व 21 | अपराध विवरण फार्म |
| 18 | प्रदर्श पी 22 | पत्र थानाधिकारी |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | प्रदर्श पी 23 से 27 | रोजनामचा रपट |
| 20 | प्रदर्श पी 28 | प्रति मालखाना रजिस्टर |
| 21 | प्रदर्श पी 29 | पत्र थानाधिकारी |
| 22 | प्रदर्श पी 30 | न्यायालय आदेशिका |
| 23 | प्रदर्श पी 31 | साक्षी सम्मन पीड़िता |
| 24 | प्रदर्श पी 32 | बयान धारा 164 द.प्र.सं. पीड़िता |
| 25 | प्रदर्श पी 33 | असल मालखाना रजिस्टर |
| 26 | प्रदर्श पी 34 | चिट मार्क "ए" |

**ब–बचाव प्रदर्श**

| क्र.सं. | प्रदर्श नंबर | विवरण |
|---|---|---|
| - | - | – |

**स–न्यायालय प्रदर्श**

| क्र.सं. | प्रदर्श नंबर | विवरण |
|---|---|---|
| | –– | |

**द–भौतिक वस्तुएं**

| क्र.सं. | भौतिक वस्तु नंबर | विवरण |
|---|---|---|
| - | - | - |

1. हस्तगत प्रकरण एक नाबालिग लड़की के साथ हुए अपराध से संबंधित है अतः प्रकरण में बालिका की पहचान गोपनीय रखने हेतु हस्तगत निर्णय में उसको ‘‘पीड़िता’’ के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.05.2023 को परिवादिया बुली नाथ उर्फ भुली देवी ने एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 पुलिस को बमुकाम डाइट के सामने झुंझुनूं इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 04.05.2023 को उसकी बेटी पीड़िता आठ बजे सुबह चाय नाश्ता कर बच्चों में खेलने चली गयी, वह घर के काम में लग गयी। बारह बजे वह घर से पानी भरने के लिए गयी, पानी लेकर वापस घर आयी, घर आने के बाद उसकी लड़की पीड़िता नहीं आने के कारण वह पीड़िता को उसके साथ खेलने वाले बच्चों में व घर में काफी तलाश किया लेकिन उसकी लड़की कहीं नहीं मिली। उसे पता चला है कि उसकी लड़की को कोई औरत अपहरण करके ले गयी। उसकी बेटी ने सफेद टीशर्ट और नेकर पहन रखी है। उम्र लगभग चार साल है इत्यादि।

3. इस पर पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 229/2023 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान पीड़िता को दस्तयाब किया गया तथा गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये एवं तत्पश्चात अन्य आवश्यक नियमित अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 84 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुंझुनूं के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जहां से प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

4. दिनांक 11.06.2024 को अभियुक्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 सपठित धारा 84 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाकर उसका विचारण किया गया।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 1 व 2 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये व पृष्ठ संख्या 2 व 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

6. अभियुक्ता को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया जिसमें उसने गवाहान द्वारा दी गई साक्ष्य को गलत होना बताया और साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया परन्तु उसकी ओर से कोई साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं की गयी।

7. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

8. विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर आयी अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य सन्देह से परे साबित है कि अभियुक्ता ने परिवादिया की अप्राप्तवय पुत्री पीड़िता का उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से उसकी सम्मति के बिना बहला-फुसलाकर ले जाकर व्यपहरण किया। उनका तर्क है कि पीड़िता अभियुक्ता के कब्जे से दस्तयाब की गयी है जिसकी पुष्टि परिवादिया पी डब्ल्यू 3 भुली देवी ने की है, उसने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन किया है कि अभियुक्ता उसकी बेटी पीड़िता के साथ मण्डावा मोड़ पर मिली। उनका तर्क है कि

पीड़िता ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन किया है कि अभियुक्ता ही उसे लेकर गयी थी जिसकी पहचान पीड़िता द्वारा न्यायालय के समक्ष की गयी है। उनका तर्क है कि पत्रावली पर आयी अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्ता को दोषसिद्ध कर कड़ी सजा दी जावे।

9. इसका विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर आयी अभियोजन पक्ष की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। उनका तर्क है कि पीड़िता बालिका ने अपनी साक्ष्य में उसे अभियुक्ता द्वारा बस में दिल्ली ले जाया जाना तथा वहां पर एक दिन रूकना बताया है जबकि पीड़िता को उसके गुम होने के छः घण्टे के भीतर ही दस्तयाब किया जाना बताया गया है तथा अनुसंधान अधिकारी ने यह कथन किया है कि बालिका को किसी वाहन में ले जाना अनुसंधान में नहीं पाया गया। उनका तर्क है कि अभियुक्ता को पीड़ित बालिका का अपहरण करते हुए किसी के द्वारा नहीं देखा गया है बल्कि कैमरे में देखना बताया गया है परन्तु इस संबंध में कोई भी सीसीटीवी फुटेज अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि परिवादिया पीड़िता की दस्तयाबी के समय स्वयं का वहां पर उपस्थित होना कथन करती है जबकि परिवादिया की बहन पी डब्ल्यू 9 हीना ने पीड़िता की दस्तयाबी के समय स्वयं एवं अपने पति के अलावा अन्य किसी का साथ नहीं होना कथन करती है। उनका तर्क है कि पीड़िता का पिता पी डब्ल्यू 4 लखन ने यह स्वीकार किया है कि वह अभियुक्ता को नहीं जानता है और उसने व उसकी पत्नी ने आज तक अभियुक्ता को नहीं देखा। उनका तर्क है कि अभियुक्ता द्वारा बालिका का कोई अपहरण नहीं किया गया है बल्कि उसके विरूद्ध सोच-समझकर यह झूठी रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। परिवादिया पी डब्ल्यू 3 भुली देवी ने स्वयं स्वीकार किया है कि रिपोर्ट उन्होंने सोच-समझकर तथा विचार करके दी थी। उनका तर्क है कि पीड़ित बालिका ने अभियुक्ता द्वारा उसे डण्डे से मारना बताया है परन्तु चिकित्सीय परीक्षण में उसके शरीर पर कोई जाहिरा चोट होना नहीं पाया गया है। उनका तर्क है कि

अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित नहीं कर सका है। अतः अभियुक्ता को दोषमुक्त किया जावे।

10. **सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि क्या पीड़िता घटना दिनांक 04.05.2023 को 18 वर्ष से कम आयु की होकर नाबालिग थी ?**

11. अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता की जन्मतिथि के संबंध में कोई भी दस्तावेज यथा जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय प्रवेश आवेदन आदि प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। पीड़िता की उम्र की जांच हेतु पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले गवाह पी डब्ल्यू 6 डॉ. संजय कुमार का अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन रहा है कि दिनांक 30.06.2023 को राजकीय बीडीके अस्पताल झुंझुनूं में मेडिकल ज्यूरिष्ट के पद पर पदस्थापित रहते हुए पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं की तहरीर पर पीड़िता का उसकी माता की सहमति पर उम्र संबंधी परीक्षण किया था। गवाह ने पीड़िता की डेंटल ऑपिनियन डॉ. सुनील कुमार से लिया जाना तथा एक्सरे करवाया जाना कथन किया है। गवाह ने अपनी राय के अनुसार परीक्षण की दिनांक को पीड़िता की उम्र तीन से छः वर्ष के मध्य की पाया जाना बताया है। पीड़िता की माता पी डब्ल्यू 3 भुली देवी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में पीड़िता की उम्र चार वर्ष होना बताया है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्ष्य के खण्डन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे पीड़िता के मेडिकल परीक्षण में पायी गयी पीड़िता की उम्र तीन से छः वर्ष के मध्य होने का कोई खण्डन होता हो। फलस्वरूप पीड़िता के उम्र संबंधी मेडिकल परीक्षण के अनुसार घटना दिनांक 04.05.2023 को पीड़िता की उम्र तीन से छः के मध्य होने से पीड़िता घटना के समय 18 वर्ष से कम आयु की होकर नाबालिग थी।

12. अब न्यायालय को यह देखना है किः–

**''आया अभियुक्ता ने दिनांक 04.05.2023 को सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे के मध्य किसी समय कस्बा झुंझुनूं में डाइट के सामने से परिवादिया की अप्राप्तवय पुत्री पीड़िता का उसके संरक्षक की विधिपूर्ण**

**संरक्षकता से उसकी सम्मति के बिना बहला-फुसलाकर ले जाकर व्यपहरण किया ?''**

13. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी पी डब्ल्यू 5 पीड़िता है जिसकी साक्ष्य लेखबद्ध करने से पूर्व उसका सामान्य परीक्षण किया गया तथा उसका मुख्य परीक्षण प्रश्न-उत्तर के रूप में लेखबद्ध किया गया। पीड़िता ने बताया कि उसे अफसाना जोहड़ वाली उठाकर लेकर गयी थी। उस समय वह घर पर ही थी। वह उसे चीज खिलाने की कहकर लेकर गयी थी। वह उसे अफसाना जोहड़ लेकर गयी थी। वह उसे बस में ले जा रही थी। उसने उसे डण्डे से पीठ पर मारा था। वह उसे दिल्ली लेकर गयी थी। उसे ले जाने वाली का नाम उसे नहीं पता। वह उसको पहले से जानती थी। पीड़िता ने न्यायालय में अभियुक्ता की ओर इशारा करके बताया कि यह उसको लेकर गयी थी। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने उसे लेकर जाते समय घर पर अपने मम्मी पापा का नहीं होना बताया बल्कि स्वयं का एवं नाना-नानी का होना बताया। गवाह ने अभियुक्ता द्वारा उसे शाम को लेकर जाना बताया। गवाह ने अभियुक्ता द्वारा उसे अपने घर पर लेकर जाना एवं कुरकुरे खिलाना बताया। पीड़िता ने यह स्वीकार किया कि वह अभियुक्ता के घर पर जाने के बाद कहीं नहीं गयी बल्कि अभियुक्ता के घर पर ही रही। पीड़िता ने अभियुक्ता द्वारा उसे बस में दिल्ली लेकर जाना एवं दिल्ली में एक दिन रहना बताया।

14. पी डब्ल्यू 3 भुली देवी परिवादिया व पीड़िता की माता है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह मजदूरी करती है व करीबन 12-13 साल से डाईट के सामने झुग्गी बनाकर रहती है। उसकी तीन लड़कियां है। करीबन एक डेढ साल पूर्व की बात है। उस रोज वह अपने घर पर काम कर रही थी। उसके बच्चे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के साथ खेल रहे थे। उसने करीबन बारह बजे अपनी बच्ची पीड़िता को ढूंढा तो वह झोपड़ी में नहीं मिली, उसके बाद उन्होंने उसे ढूंढा तो वह आस–पास नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने पुलिसवालों को रिपोर्ट दी, पुलिसवालों के साथ उन्होंने अपनी बच्ची पीड़िता को तलाश किया

तो उसकी बेटी पीड़िता को मंजू अपनी गोद में लेकर मण्डावा मोड़ की तरफ मिली। मंजू, उसकी बेटी पीड़िता के साथ मण्डावा मोड़ पर मिली। उसने अपनी बच्ची को देखकर पहचान लिया। उसकी बेटी पीड़िता ने क्रीम कलर की टीशर्ट पहन रखी थी तथा नीचे नेकर पहन रखा था, जिसे मंजू ने पहले पहने कपड़े बदलकर दूसरे कपड़े पहना दिये। उक्त महिला उसकी बेटी पीड़िता का अपहरण करके अपने साथ ले गई जिसकी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 उसने पुलिस में दी, उसकी पुत्री को पुलिस द्वारा उसे जरिए फर्द प्रदर्श पी 6 सुपुर्द किया गया व चाक एफआईआर प्रदर्श पी 7 है। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि मंजू उसकी बेटी पीड़िता को गोद में लेकर खड़ी थी, किसी प्रकार की कोई गाड़ी वगैरह में नहीं बैठी हुयी थी। पीड़िता के गायब होने तथा उसके मिलने के समय का अंतराल करीबन छः घण्टे का था। गवाह ने यह स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कोई अपहरण करता तो झुंझुनूं से अन्यत्र स्थान पर ले जाता। उसकी लड़की के साथ अपहरणकर्ता ने मारपीट भी की थी। पुलिस में उनके द्वारा रिपोर्ट सोच–समझकर तथा विचार करके दी गयी थी।

15. पी डब्ल्यू 4 लखन पीड़िता का पिता है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसके चार बच्चे हैं। करीब तीन साल पहले उसकी बेटी पीड़िता घर पर खेल रही थी। वे काम पर से एक बजे घर पर खाना खाने आये थे। उन्हें घर पर पीड़िता नहीं मिली। उन्होंने उसको तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली। उन्होंने उसके बाद थाने में जाकर रिपोर्ट करवाई थी। बाद में पीड़िता मण्डावा मोड़ पर मिली थी जो मंजू देवी के साथ थी। मंजू देवी उसकी बेटी पीड़िता को घर के सामने खेलती का अपहरण करके लेकर गई थी। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने कथन किया है कि वह मंजू देवी को नहीं जानता है, वह उससे आज तक कभी नहीं मिला। उसने आज तक मंजू देवी को कभी नहीं देखा। मंजू देवी द्वारा उसकी बेटी को उनके घर से ले जाते उसने व उसकी पत्नी ने नहीं देखा, कैमरे में देखा था। उसने व उसकी पत्नी ने आज तक मंजू देवी को नहीं देखा।

16. पी डब्ल्यू 9 हीना पीड़िता की मौसी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.05.2023 को को वह अपने घर पर काम कर रही थी, तब दिन में बारह–एक बजे भूली देवी ने उससे कहा कि पीड़िता नहीं मिल रही। उसको उन्होंने काफी तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली, तब पुलिस को रिपोर्ट दी थी। उन्होंने पुलिस के साथ उसको तलाश किया तब मण्डावा मोड़ पर आरोपिया मंजू देवी के पास मिली थी, जिसको दस्तयाब किया गया था। फर्द दस्तयाबी अपहृता प्रदर्श पी 6 है। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने कथन किया है कि जब अपहृता मिली थी तब वह पुलिस के साथ गाड़ी में ही थी। वह, उसका पति और पुलिस ही थे और कोई उनके साथ नहीं था।

17. पी डब्ल्यू 1 बलकेश एवं पी डब्ल्यू 2 किशोर कुमार दोनों पुलिसकर्मी है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.05.2023 को मदनलाल एसआई ने जिस स्थान पर आरोपिया मंजू अपहृता बालिका को अपनी गोद में लेकर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से पैदल–पैदल चलकर आयी थी उस स्थान का नक्शा मौका व हालात मौका उनके सामने मंजू की उपस्थिति व निशादेही से प्रदर्श पी 1 बनाया। दिनांक 05.05.2023 को आरोपिया मंजू ने बालिका के कपड़े अपने बाथरूम से बरामद करवाये थे जिनको अपहृता बालिका की माता भूली देवी ने मौके पर ही देखकर अपनी पुत्री को होना पहचान किया था जिनको मदनलाल एसआई द्वारा जरिए फर्द प्रदर्श पी 2 जब्त कर सील मोहर कर मार्क ए अंकित किया गया था। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी 3 है। दिनांक 05.05.2023 को आरोपिया मंजू देवी ने उनके सामने जिस स्थान से अपहृता बालिका को बहलाकर लेकर गई थी, उस स्थान की तस्दीक उनके सामने कर नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी 4 तैयार करवाया था। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इन गवाहान ने कथन किया है कि प्रदर्श पी 1 जहां से अभियुक्ता को पकड़ा वह आम रास्ता है।

18. पी डब्ल्यू 8 महेन्द्र कुमार तत्कालीन मालखाना प्रभारी पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनू है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 05.05.2023 को अनुसंधान अधिकारी ने उसे मालखाना में एक सील्डशुदा

पैकेट मार्क ए जिसमें अपहृता पीड़िता की नेकर व टीशर्ट थी, जमा करवाया था जो उसने मालखाना में जमा कर उसका मालखाना रजिस्टर में मद संख्या 156 पर इंद्राज किया। माल जब तक उसके पास रहा, सील्डशुदा हालत में रहा था। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 33 है जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 28 है।

19. पी डब्ल्यू 7 मदनलाल प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जिसने स्वयं द्वारा अनुसंधान संबंधी किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण देते हुए कथन किया है कि दिनांक 04.05.2023 को सूचना मिली थी कि पांच साल की बच्ची का अपहरण हो गया है तब थानाधिकारी ने उसे मय जाब्ता मौके के लिए रवाना किया था। डाईट के सामने झुंझुनूं में मौके पर परिवादिया बुली नाथ ने उसके समक्ष लिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 पेश की थी। उसने रिपोर्ट दर्ज करने हेतु मनरूप कांस्टेबल के सुपुर्द कर थाने के लिए रवाना किया जिसने थाने पर जाकर इसे पेश की थी। रिपोर्ट के आधार पर चाक एफआईआर प्रदर्श पी 7 कायम की गई थी। अनुसंधान के दौरान उसने गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए व घटनास्थल पर पहुंचकर नक्शा मौका व हालात मौका बनाया गया था। अपहृता बालिका को मण्डावा मोड़ अम्बेडकर भवन के पास से आरोपिया मंजू देवी के कब्जे से दस्तयाब किया गया व आरोपिया के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया जाने पर उससे पूछताछ कर उसे गिरफ्तार किया गया था। बालिका के सुरेश महिला एएसआई से बयान लेखबद्ध करवाये गये थे। प्रकरण में अपहृता बालिका के धारा 164 सीआरपीसी के बयान लेखबद्ध करवाये गये थे। आरोपिया ने अपनी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला पर अपहृता बालिका के वरवक्त घटना पहने हुए कपड़े बरामद करवाए थे। आरोपिया ने दिनांक 05.05.2023 को अपनी इत्तला के आधार पर घटनास्थल तस्दीक कर तस्दीक नक्शा मौका व हालात मौका अपहरण स्थल प्रदर्श पी 4 तैयार करवाया था। गवाह ने तत्संबंधित प्रपत्रों व फर्दात को प्रदर्शित करते हुए अन्वेषण के उपरान्त अभियुक्ता के विरूद्ध अपराध साबित पाया जाना कथन किया है। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने यह स्वीकार किया कि अहपरणकर्ता खुद को छुपा नहीं रही थी। उसके अनुसंधान में यह नहीं आया कि आरोपिया, बालिका को किसी वाहन में बैठाकर कहीं लेकर गयी हो या

किसी वाहन में घुमाया हो, केवल पैदल घुमा रही थी। प्रदर्श पी 1 का स्थल आम रास्ता है और वहां से लोगों का आवागमन रहता है। पत्रावली पर कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है, उन्होंने फुटेज तो देखे थे, पत्रावली पर शामिल नहीं करने का कारण नहीं बता सकता क्योंकि उसने उनको शामिल करना उचित नहीं समझा।

20. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्ता मंजू देवी पर यह आरोप है कि उसने परिवादिया की नाबालिग पुत्री पीड़िता का व्यपहरण किया। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की उपरोक्त साक्ष्य का सुक्ष्मता से विश्लेषण करने पर पीड़ित बालिका पी डब्ल्यू 5 जिसकी साक्ष्य न्यायालय द्वारा प्रश्न–उत्तर के रूप में लेखबद्ध की गयी है, उसने यह कथन किया है कि जब उसे ले जाया गया था तब उसके मम्मी–पापा घर पर नहीं थे। इस गवाह ने उस वक्त अपने नाना–नानी को घर पर होना बताया है जबकि परिवादिया पी डब्ल्यू 3 भुली देवी ने यह कथन किया है कि वह अपने घर पर काम कर रही थी। परन्तु इसके विपरीत पी डब्ल्यू 4 लखन जो परिवादिया का पति है उसने यह कथन किया है कि वे काम पर से एक बजे घर पर खाना खाने आये थे इसका तात्पर्य यह है कि पीड़िता का जब अपहरण हुआ था तब परिवादिया घर पर नहीं थी। ऐसी स्थिति में तत्समय परिवादिया के घर पर होने या न होने के संबंध में अभियोजन साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है।

21. पीड़िता को अभियुक्ता के कब्जे से मण्डावा मोड़ से दस्तयाब किया जाना बताया गया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो पी डब्ल्यू 3 भुली देवी ने यह कथन किया है कि जब उसकी बेटी पीड़िता को अभियुक्ता से दस्तयाब किया गया तब वह वहां पर थी परन्तु पी डब्ल्यू 9 हीना जो इस परिवादिया की ही बहन है उसने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि जब पीड़िता को दस्तयाब किया गया तब वहां पर वह और उसका पति ही पुलिस के साथ थे, और कोई उनके साथ नहीं था। उक्त गवाह पीड़िता की दस्तयाबी के समय परिवादिया पी डब्ल्यू 3 भुली देवी की उपस्थिति से ही इनकार करती है।

22. पी डब्ल्यू 5 पीड़िता ने अभियुक्ता द्वारा उसे बस में दिल्ली ले जाया जाना तथा प्रतिपरीक्षा में दिल्ली में एक दिन रूकना कथन किया है परन्तु पीड़ित

बालिका ने अपने धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयानों में उसे दिल्ली ले जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है बल्कि अभियुक्ता द्वारा उसे अपने घर ले जाना बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 04.05.2023 को सुबह आठ से दोपहर बारह बजे के मध्य की बतायी गयी है तथा फर्द दस्तयाबी पीड़िता प्रदर्श पी 6 के अनुसार पीड़िता को दिनांक 04.05.2023 को ही 07:30 पीएम पर दस्तयाब कर लिया गया था। अनुसंधान अधिकारी पी डब्ल्यू 7 मदनलाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसके अनुसंधान में यह नहीं आया कि अभियुक्ता, बालिका को किसी वाहन में बैठाकर कहीं लेकर गयी हो या किसी वाहन में घुमाया हो। पीड़िता को उसका अपहरण होने के छः से आठ घण्टे की समयावधि के भीतर ही पुलिस द्वारा दस्तयाब कर लिया गया था तो ऐसी स्थिति में दिल्ली जो झुंझुनूं से लगभग 250 किलोमीटर दूर है, वहां पीड़िता को अभियुक्ता द्वारा बस से लेकर जाना एवं वहां एक दिन रूकने का तथ्य अपने आप में सन्देहास्पद हो जाता है।

23. अभियोजन पक्ष की साक्ष्य में यह नहीं आया है कि अभियुक्ता द्वारा पीड़ित बालिका को ले जाते हुए किसी के द्वारा देखा गया हो। पी डब्ल्यू 4 लखन जो पीड़िता का पिता है उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्ता द्वारा उसकी बेटी पीड़िता को उनके घर से ले जाते उसने व उसकी पत्नी ने नहीं देखा। इस गवाह ने यह कथन किया है कि कैमरे में देखा था परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से कैमरे की ऐसी कोई सीसीटीवी फुटेज न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसमें अभियुक्ता, पीड़ित बालिका को ले जाते हुए दिखाई दे रही हो। अनुसंधान अधिकारी पी डब्ल्यू 7 मदनलाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि पत्रावली पर कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है, उसने उनको शामिल करना उचित नहीं समझा। जब अभियुक्ता द्वारा पीड़िता का अपहरण कर ले जाते हुए किसी के द्वारा नहीं देखा गया था तो उक्त सीसीटीवी फुटेज सर्वोत्तम साक्ष्य हो सकती थी परन्तु उक्त सीसीटीवी फुटेज को अभियोजन की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह तथ्य सन्देहास्पद हो जाता है कि अभियुक्ता ही पीड़ित बालिका को लेकर गयी हो।

24. पीड़ित बालिका ने अभियुक्ता द्वारा उसे डण्डे से मारना बताया है परन्तु पी डब्ल्यू 6 डॉ. संजय कुमार जिसके द्वारा पीड़िता का उम्र संबंधी परीक्षण किया गया है उसने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन किया है कि पीड़ित बालिका के शरीर पर कोई जाहिराना चोट नहीं थी। यदि पीड़ित बालिका के साथ डण्डे से मारपीट की जाती तो उसके शरीर पर चोट का निशान या नीलगू निशान आना स्वभाविक था परन्तु चिकित्सीय परीक्षण के दौरान उसके शरीर पर किसी प्रकार की कोई जाहिरा चोट नहीं पाये जाने से पीड़ित बालिका का यह कथन सन्देहास्पद हो जाता है कि अभियुक्ता द्वारा उसके साथ डण्डे से मारपीट की गयी हो।

25. पीड़िता बालिका ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि जब अभियुक्ता उसे लेकर गयी तब शाम का समय था। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें परिवादिया ने घटना दिनांक 04.05.2023 की सुबह आठ बजे से बारह बजे की बतायी है तथा उक्त रिपोर्ट पुलिस को उसके द्वारा बमुकाम घटनास्थल उसी दिन 4:00 पीएम पर प्रस्तुत कर दी गई और फर्द दस्तयाबी पीड़ित बालिका प्रदर्श पी 6 के अनुसार शाम 7:30 पीएम पर बालिका को दस्तयाब ही कर लिया गया था। ऐसी स्थिति में पीड़िता का यह कथन कि उसे शाम के समय ले जाया गया था, अभियोजन कहानी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

26. पीड़ित बालिका ने अपनी दिनांक 16.02.206 को हुयी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्ता की ओर हाथ से इशारा करके बताया कि यह उसको लेकर गयी थी परन्तु इस संबंध में पीड़ित बालिका का मुख्य परीक्षण जो दिनांक 13.02.2026 को लेखबद्ध किया गया था, के अवलोकन से स्पष्ट है कि पीड़िता बालिका ने अभियुक्ता को पहले से जानना बताया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के मध्यनजर पीड़ित बालिका द्वारा अभियुक्ता को पहले से जानने के आधार पर उसकी न्यायालय के समक्ष पहचान करने से यह तथ्य सन्देह से परे साबित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्ता ही पीड़ित बालिका को लेकर गयी थी।

27. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना से यह प्रकट होता है कि पीड़ित बालिका सहित उसके परिजनों की साक्ष्य

में गंभीर विरोधाभास है। पीड़ित बालिका की स्वयं की साक्ष्य ही विश्वसनीय नहीं है क्योंकि पीड़ित बालिका ने अभियुक्ता द्वारा उसे शाम के समय ले जाना एवं उसे बस में दिल्ली ले जाना व एक दिन वहां रूकना कथन किया है परन्तु अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण की घटना प्रातः आठ से दोपहर बारह बजे के मध्य की बतायी गयी है तथा पीड़िता को उसी दिन उसके घर से गुम होने के छः से आठ घण्टे के भीतर झुंझुनूं कस्बे से दस्तयाब कर लिया गया था। पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य नहीं आयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि पीड़ित बालिका को अभियुक्ता द्वारा बस में दिल्ली ले जाया गया हो। पीड़ित बालिका को अभियुक्ता द्वारा ले जाते हुए किसी के द्वारा भी नहीं देखा गया है तथा केवल मात्र कैमरे में उसे देखना बताया है परन्तु अभियोजन की ओर से कैमरे की कोई भी सीसीटीवी फुटेज न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की गयी है जबकि उक्त सीसीटीवी फुटेज इस प्रकरण में एक सर्वोत्तम साक्ष्य थी। ऐसी स्थिति में यह तथ्य सन्देहास्पद हो जाता है कि अभियुक्ता द्वारा ही पीड़िता का अपहरण किया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध तब तक साबित नहीं माना जा सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष उक्त आरोप को सन्देह से परे साबित न कर दे। यदि अभियोजन पक्ष की कहानी में तनिक भी विरोधाभास एवं सन्देह है तो उस सन्देह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

28. उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषणानुसार अभियोजन पक्ष यह तथ्य सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि अभियुक्ता ने दिनांक 04.05.2023 को सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे के मध्य किसी समय कस्बा झुंझुनूं में डाइट के सामने से परिवादिया की अप्राप्तवय पुत्री पीड़िता का उसके संरक्षक की विधिपूर्ण संरक्षकता से उसकी सम्मति के बिना बहला-फुसलाकर ले जाकर व्यपहरण किया। अतः अभियुक्ता आरोपित अपराध से दोषमुक्ति की अधिकारी है।

## आदेश

29. परिणामतः अभियुक्ता श्रीमती मंजू देवी पत्नी विजय कुमार, निवासी पहाड़सर जिला चूरू हाल अफसाना जोहड़ कस्बा झुंझुनूं, पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं को अपराध अन्तर्गत धारा **363** भारतीय दण्ड संहिता सपठित

धारा **84** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के आरोप से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

30. अभियुक्ता के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत-मुचलके निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

31. अभियुक्ता को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानान्तर्गत पच्चीस हजार रूपये की एक प्रतिभूति एवं इसी राशि का निजी बंधपत्र छः माह की अवधि के लिए पेश कर तस्दीक करावें कि इस निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने की सूरत में नोटिस प्राप्त होने पर वह स्वयं अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

**(सुनील कुमार पंचोली)**
सेशन न्यायाधीश
(बाल न्यायालय)
झुंझुनूं (राज०)

32. निर्णय आज दिनांक **23.07.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

**(सुनील कुमार पंचोली)**
सेशन न्यायाधीश
(बाल न्यायालय)
झुंझुनूं (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.24 11:17:11 IST